चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग,उत्तराखण्ड शासन
कार्यालय कक्ष संख्या–417 चतुर्थ तल विश्वकर्मा भवन, 4 सुभाष मार्ग उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून–248001

वेबसाइट :www.hnbumu.ac.in ई.मेल : secretaryhealthuk@gmail.com

पत्रांक: 1029/एच0एन0बी0यू0एम0यू0/नियुक्ति/2023–24 दिनांक: 02.08.2023

विज्ञप्ति

हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 तथा संशोधन अधिनियम–2020 की धारा 10 मे उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत गठित सर्च कमेटी द्वारा संस्तुत पैनल मे से हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्ति की जानी है। कुलपति पद पर नियुक्त व्यक्ति योगदान की तिथि से 05 वर्ष अथवा शासन द्वारा निर्धारित अधिवर्षता आयु (अधिकतमक 70 वर्ष) , जो भी पहले हो, तक के लिए पद धारित करेगा।

कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी व शैक्षणिक अधिकारी होता है, अतः उक्त पद हेतु उच्चतम स्तर की क्षमता, निष्ठा, नैतिकता और संस्थागत प्रतिबद्धता का व्यक्ति होना चाहिए। उसे विशिष्ट न्यूनतम चिकित्सा महाविद्यालय अथवा चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रक्रिया मे प्रोफसर के पद पर 10 वर्ष का अनुभव अथवा चिकित्सा विज्ञान के प्रतिष्ठित संगठन मे समकक्ष स्थिति मे कार्य करने का 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

उक्तानुसार योग्यता रखने वाले तथा आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी अथवा अन्य व्यक्तियों को सर्च कमेटी के सम्मुख विचारार्थ नामित किए जाने के इच्छुक आवेदक अपना अथवा नामित व्यक्ति का आवेदन, विस्तृत जीवनवृत्त सहित तीन प्रतियों में, सदस्य सचिव, सर्च–कम–सलेक्शन कमेटी द्वारा सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय कक्ष संख्या–417,चतुर्थ तल, विश्वकर्मा भवन, 4–सुभाष मार्ग, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून–248001 को इस विज्ञप्ति के प्रकाशन से एक माह के भीतर प्रेषित कर सकते हैं।

विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाईट– www.hnbumu.ac.in ,पर उपलब्ध है।

सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड शासन

Scanned with OKEN Scanner